पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 361/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 13.12.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 13.12.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी हैः-

01.थाना सरायमीरः दुष्कर्म का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/ -

दिनांक 13.11.24 को वादिनी मुकदमा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि दिनाँक 10.11.2024 को विपक्षी आकाश पुत्र जर्नादन सा0 छित्तेपुर थाना सरायमीर आजमगढ़ द्वारा वादिनी मुकदमा की पुक्षी को बहला फुसलाकर कही भगा ले गया है के सम्बन्ध में थाना सरायमीर पर मु0अ0स0- 603/2024 धारा 87,64,115(2),352 बीएनएस बनाम अभियुक्त आकाश उपरोक्त पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक- 13.12.2024 को उ0नि0 अखिलेश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त का वांछित अभियुक्त आकाश पुत्र जर्नादन सा0 छित्तेपुर थाना सरायमीर आजमगढ़ को छित्तेपुर बाजार से समय करीब 11.55 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। लड़की को बरामद को उसके परिवार जन को सुपुर्द किया गया। गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

02. थाना कोतवालीः फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 30/8/24 को वादी निरीक्षक भारत भूषण तिवारी प्रभारी फील्ड यूनिट एटीएस आजमगढ़ ने थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दी कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) में जन्म प्रमाण पत्र पोर्टल से फर्जी तरीके से बनाया जा रहा है, जिसमें एक अभियुक्त नीरज कुमार सविता पुत्र बद्री विशाल सविता निवासी 50 फूलबांग कालोनी कुर्सी रोड निकट थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ उम्र 41 वर्ष स्वास्थ्य विभाग(जन्म मृत्यु आकड़ा अनुभाग स्वास्थ्य भवन लखनऊ) में वर्ष-2013 से संविदा पर डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट के पद पर एस एल पी कंपनी की ओर से नियुक्ति थी,अभियुक्ता अनीता यादव पत्नी ज्ञानशंकर यादव नि0 कोल पांडे थाना कोतवाली आजमगढ़ की भी नियुक्ति वर्ष -2013 में हुई थी तभी से अभियुक्त नीरज की अनीता यादव से जान पहचान हुई थी, अनीता यादव के कहने पर अभियुक्त द्वारा आईडी का करेक्शन अप्रूवल कर दिया जाता था, के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 487/2024 धारा- 319(2)/318(4)/338/337/336(3)/340(2)/61(2) भारतीय न्याय संहिता-2023 (BNS) व धारा-66सी,66डी सूचना एवं प्रौद्योगिकी (यथा संशोधित) अधिनियम-2008 थाना स्थानीय पर पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण –

दिनांक- 12.12.2024 को प्र0नि0 शशिमौलि पाण्डेय, उ0नि0 रवि प्रकाश गौतम मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त नीरज कुमार सविता पुत्र बद्री विशाल सविता निवासी 50 फूलबांग कालोनी कुर्सी रोड निकट थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ उम्र 41 वर्ष को समय 22.30 बजे थाना मडियाव के गेट के पास से नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03.थाना दीदारगंजः बीएड में एडमिशन कराने के नाम पर हुए साइबर फ्रॉड में आवेदक को 01 लाख रूपया वापस कराया गया।

दिनांक- 26.06.2024 को बीएड में एडमिशन कराने के नाम पर आवेदक जितेन्द्र विन्द पुत्र मिस्टर इनरमन ग्राम इरनागोकुलपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ के खाते से 01 लाख रूपयें आनलाइन फ्राड हो गया था जिसपर आवेदक जितेन्द्र विन्द उपरोक्त द्वारा 1930 पर काल करके आनलाइन साईबर पर शिकायत सं0 2310924010xxxx किया गया था जिसपर उपरोक्त शिकायत की जांच करते हुए आवेदक जितेन्द्र बिन्द का पैसा कुल 01 लाख रू0 वापस कराया गया।

रूपया वापसी का विवरण:-

उक्त प्रकरण में जाँचोंपरान्त खाते को फ्रीज कराकर साइबर सेल एवं सम्बन्धित बैंक के अधिकारी से सम्पर्क कर साइबर फ्राड के 01 लाख रूपयें को आवेदक के खाते मे वापस कराया गया। आवेदक द्वारा अपना फ्रॉड के माध्यम से कटा हुआ 01 लाख रूपया वापस पाकर आजमगढ़ पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है।

बरामद कराने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 धर्मेन्द्र तिवारी थाना दीदारगंज, आजमगढ़।

क0आ0 संदीप यादव, थाना दीदारगंज, आजमगढ़।